समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

नई कर व्यवस्था से होम लोन पर आपको मिलेगा भारी लाभ ! इस आयकर नियम से 2 लाख रुपये बचाएं।

Publisher

Published on 05 May 2025

नई कर प्रणाली गृह ऋण पर क्या प्रभाव डालेगी ? पैसे का महत्वपूर्ण गणित जाने...

जो लोग नए वित्तीय वर्ष में नई कर प्रणाली के अनुसार अपने वित्त की योजना बनाना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल नई कर प्रणाली चुनने की सलाह दी जा रही है। इस नई कर प्रणाली के अब तक कई लाभ देखे जा चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा और लगातार उजागर होने वाला लाभ यह है कि 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता है। 12 लाख रु.

नई कर प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि यदि आपके पास एनपीएस है, तो आप कॉर्पोरेट खाते के माध्यम से कटौती ले सकते हैं, जिसमें मानक कटौती का आंकड़ा भी बड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कर प्रणाली में अधिक कर कटौती का दावा नहीं किया जा सकता। तो क्या कर प्रणाली पुरानी होनी चाहिए या नई ? यही प्रश्न लगातार उठाया जा रहा है।

आप गृह ऋण से किस प्रकार लाभान्वित हो रहे है ?

नई कर व्यवस्था में गृह ऋण ब्याज दरों पर छूट एक बड़ा लाभ है, और यदि यह छूट भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं है, तो भी यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता है, तो वह नई कर प्रणाली से लाभ उठा सकता है। जहां, 'किराए पर दी गई संपत्ति' का अर्थ है कि संपत्ति स्वयं के कब्जे में नहीं है, बल्कि किराये के आधार पर दी गई है।

ध्यान दे कि छूट कहां दी गई है ?

मानक कटौती नई और पुरानी दोनों कर प्रणालियों में उपलब्ध है। हालाँकि, इससे मिलने वाले लाभ अलग होंगे। पुरानी कर प्रणाली की तुलना में नई कर प्रणाली में कोई कटौती नहीं है। नई कर व्यवस्था की धारा 24(बी) के तहत, स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति पर ब्याज किसी भी तरह से सीधे कटौती योग्य नहीं है। वास्तव में, यहां केवल मानक कटौती और एनपीएस नियोक्ता अंशदान ही

स्वीकार्य माना जाता है।

सरल शब्दों मे कंहे तो क्या मकान किराये पर दिया गया है ? तो आपको लाभ मिलेगा...

यदि आपने गृह ऋण लेकर मकान किराये पर दिया है, तो आप 'गृह संपत्ति से आय' की गणना करते समय ब्याज के कारण हुई शुद्ध हानि की राशि को समायोजित कर सकते हैं। यहां, गृह ऋण पर पूर्ण ब्याज और किराये के मूलधन से प्राप्त राशि के बीच के अंतर को हानि माना जाता है। इस राशि को अन्य आय से घटाने के बाद जो राशि बचती है, उसे सेट ऑफ कहते हैं।

एक उदाहरण से समझे...

₹1 लाख, ब्याज ₹3 लाख, गृह ऋण ब्याज भुगतान = ₹3,00,000 ₹1,00,000 किराये के मूलधन से शुद्ध हानि (गृह संपत्ति से) = ₹2,00,000 (यह राशि किराये की राशि से ब्याज दर घटाने पर प्राप्त होती है।) जिससे 2 लाख रुपये के नुकसान को नई कर प्रणाली में समायोजित कर आपको सीधा लाभ मिल सकता है।

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि नई कर प्रणाली में गृह ऋण पर कोई प्रत्यक्ष लाभ या छूट नहीं है, लेकिन किराये पर दी गई संपत्ति पर नुकसान के समायोजन का अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए वित्तीय सलाहकारों की मदद अवश्य लें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.